भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1294
सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

'मेक-इन-इंडिया' पहल के अंतर्गत सृजित
नौकरियां

1294. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सितंबर, 2014 से आज तक ''मेक इन इंडिया'' पहल की शुरुआत के बाद से सृजित नई नौकरियों और नियोजित लोगों का ब्यौरा तथा वर्ष-वार डाटा क्या है;

(ख) क्या सरकार देश में रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए ''मेक इन इंडिया'' पहल को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पुनर्जीवित पहल के तहत श्रम प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में पिछले चार वर्षों में कुल बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री धारकों की बेरोजगारी को कम करने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): भारत सरकार ने निवेश को सुकर बनाने, नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने, निर्माण-संबंधी श्रेष्ठतम ढ़ांचा बनाने, व्यापार करने को आसान बनाने तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2014 में मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की थी। सरकार ने निवेश के लिए सहायक वातावरण सृजित करने तथा मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था का उदारीकरण, व्यापार करने को सरल बनाना, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया तथा क्षेत्रक योजनाएं/कार्यक्रम शामिल हैं, जो देश में प्रतियोगितात्मकता में सुधार लाएंगे। मेक इन इंडिया पहल 27 क्षेत्रों – 15 विनिर्माण क्षेत्रों एवं 12 सर्वोत्तम सेवा क्षेत्रों पर संकेन्द्रित है। इस पहल के अंतर्गत क्षेत्रक कार्रवाई योजनाएं प्रत्येक क्षेत्र में अवसंरचना को बढ़ावा देने, राजकोषीय प्रोत्साहन, कौशल विकास आदि के लिए उपायों को शामिल करती हैं। प्रत्येक क्षेत्र हेतु कार्रवाई योजनाएं संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित एवं प्रबोधित की जाती हैं। इस पहल के अंतर्गत कार्यकलाप समय-समय पर केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों/विभागों तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से शुरू किए जाते हैं। इन उपायों के ब्यौरे का केंद्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(घ) से (ङ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए विगत सर्वेक्षणों एवं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, विभिन्न शैक्षणिक स्तर के 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) के अनुसार अनुमानित बेरोजगारी दर अनुबंध में दी गई है।

सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को भी कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

रोजगार सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत, भारत सरकार, ईपीएफओ के माध्यम से नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस दोनों के लिए (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान अर्थात् 12% का भुगतान कर रही है। 31 मार्च, 2019 तक पंजीकृत लाभार्थी इस योजना के तहत पंजीकरण की तिथि से तीन सालों तक लाभ प्राप्त करेंगे।

अनुबंध

'मेक-इन-इंडिया' पहल के अंतर्गत सृजित नौकरियों से संबंधित लोक सभा के दिनांक 25.11.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1294 के भाग (घ) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विभिन्न शैक्षणिक स्तर के 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) के अनुसार बेरोजगारी दर (यूआर) (प्रतिशत में)।

(प्रतिशत में)

| स्रोत | | ग्रामीण | | शहरी | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | महिला | पुरूष | महिला |
| 2017-18 (पीएलएफएस) | स्नातक | 18.1 | 32.7 | 11.7 | 24.4 |
| | स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक | 13.3 | 36.8 | 8.6 | 19.5 |
| 2011-12 एनएसस (68वां दौर) | स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक | 7.2 | 19.0 | 5.1 | 12.7 |
| 2009-10 एनएसस (66 वां दौर) | स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक | 6.3 | 20.4 | 4.3 | 12.7 |
| 2004-05 एनएसस (61 वां दौर) | स्नातकोत्तर एवं उससे अधिक | 6.2 | 27.5 | 5.8 | 17.2 |

(टिप्पणी: * तुलनीयता के लिए, पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है जिसके साथ सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन को डिजाइन किया गया है)